

:- संशोधित आदेश :-

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 27 दिनांक 30/06/10 के क्रम सं० 507 पर डा० सीमा कटारिया पत्नी श्री अशोक खिरानी, जन्मतिथि 14/11/72 के पदस्थापन स्थान में 'टका' के स्थान पर 'प्रा०स्वा०केन्द्र हनूतपुरा (जयपुर)' पढा जावे।

नियुक्ति आदेश में अंकित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

9
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अभ्यार्थी के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट/अनुकूल चरित्र सत्यापन प्राप्त कर अभ्यार्थी के कार्यग्रहण करवायें एवं कार्यग्रहण की सूचना भिजवावें।
- 8) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को अभ्यार्थियों से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों आदि सहित।
- 11) प्रभारी केन्द्रीय सर्वर रूम मुख्यालय।
- 12) आदेश पत्रावली/ निजि पत्रावली।

30/06/10
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर